पत्रांक: SHSB/AOCell/01/2020-(P-I)/.....495.........

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

संजय कुमार, भा०प्र०से०
प्रधान सचिव

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी, बिहार
सभी असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी

पटना, दिनांक ...02/05/2020...

विषय: भारत सरकार द्वारा अंतर्राज्यीय आवागमन की अनुमति के आलोक में प्रवासी मजदूरों एवं अन्य व्यक्तियों के राज्य में वापस लौटने पर अनिवार्य स्वास्थ्य जाँच के संबंध में दिशा-निर्देश।

महाशया/महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि भारत सरकार, गृह मंत्रालय के आदेश संख्या 40-3/2020-DM-I (A) दिनांक 29.04.2020 द्वारा प्रवासी मजदूरों, तीर्थ यात्रियों, पर्यटक, छात्र-छात्राओं एवं विभिन्न स्थलों से आने वाले व्यक्तियों के आवागमन की अनुमति दी गयी है। इस आदेश के आलोक में राज्य के बाहर रहने वाले प्रवासी मजदूरों/आगन्तुकों सहित अन्य नागरिकों के रेल, बस एवं अन्य साधनों से बिहार राज्य में वापस आने की व्यवस्था की जा रही है।

2. आप सभी अवगत हैं कि पूरे विश्व में कोरोना वायरस (COVID-19) का संक्रमण है तथा इस संक्रमण के रोकथाम हेतु युद्ध स्तर पर सभी आवश्यक कारवाई की जा रही है। कोरोना वायरस (COVID-19) संक्रामक है और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आने से इस संक्रमण का प्रसार काफी तेजी से होता है। अतएव यह आवश्यक है कि बिहार राज्य में लौटने वाले प्रवासी मजदूरों/आगन्तुकों सहित सभी व्यक्तियों का अनिवार्य रूप से स्वास्थ्य परीक्षण किया जाये। स्वास्थ्य परीक्षण के क्रम में संक्रमण के लक्षण पाये जाने पर वैसे व्यक्तियों को विधिवत Quarantine करने तथा नमूनाकरण/जाँच हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाये। उक्त परिप्रेक्ष्य में जिला स्तर पर निम्न कार्रवाई किया जाना अपेक्षित है:-

3. रेल के माध्यम से आने वाले व्यक्तियों के संबंध में की जाने वाली कार्रवाई (Flow Chart संलग्न-I):-

भारत सरकार द्वारा प्रवासी मजदूरों/आगन्तुकों को बिहार राज्य में लौटने हेतु विशेष ट्रेनों के परिचालन की व्यवस्था की जा रही है। अत: आवश्यक है कि अपने जिलान्तर्गत विशेष ट्रेनों की ठहराव वाले सभी स्टेशनों की जानकारी प्राप्त कर ट्रेनों के आगमन होने पर उस स्टेशन पर उतरने वाले सभी व्यक्तियों की स्वास्थ्य जाँच करायी जाये।

(क) इस हेतु उक्त स्टेशनों पर सिविल सर्जन द्वारा पर्याप्त संख्या में चिकित्सक (MBBS/AYUSH/ दंत चिकित्सक) एवं ए0एन0एम0/पाराचिकित्सा कर्मियों का दल गठित कर प्रतिनियुक्त किया जाये।

(ख) प्रतिनियुक्त चिकित्सक दल को स्वास्थ्य परीक्षण / Screening हेतु Infrared Thermometer एवं Pulse Oxymeter (Digital Finger-Clamp) उपलब्ध कराया जाये।

(ग) चिकित्सा दल को संक्रमण से बचाव हेतु 3-Ply Surgical Mask, Non Sterile Gloves, Disposable Head Cap, Sanitizer, साबुन आदि उपलब्ध कराया जाए।

Scanned with CamScanner

(घ) सभी प्रवासी व्यक्तियों/आगन्तुकों के स्वास्थ्य परीक्षण/स्क्रीनिंग कार्य के साथ-साथ पंजीकरण संबंधी कार्य भी अनिवार्य रूप से कराया जाये। पंजीकरण हेतु अलग से पंजी/रजिस्टर का संधारण किया जाये।

(ड.) स्वास्थ्य परीक्षण/स्क्रीनिंग के दौरान अलक्षणात्मक/Asymptomatic पाये गये व्यक्तियों को संबंधित रेल स्टेशन से हीं उनके गृह जिला के प्रखंड/जिला स्थित चिन्हित आपदा विभाग द्वारा संचालित Quarantine Centre में बस द्वारा ले जाया जायेगा और उन्हें 21 दिनों के लिए अनिवार्य Quarantine किया जायेगा।

(i) आपदा के Quarantine Centre में आवासित व्यक्तियों का नियमित स्वास्थ्य जाँच किया जायेगा। यदि जाँच के क्रम में कोई व्यक्ति लक्षणात्मक/symptomatic पाया जाता है तो उसे स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित Quarantine Centre में स्थानांतरित कर दिया जायेगा तथा उसके नमूनाकरण आदि के लिए पूर्व में भेजे गये दिशा-निदेश एवं कंडिका-3(च) में वर्णित प्रक्रिया का अनुपालन किया जायेगा।

(ii) नियमित स्वास्थ्य जाँच के क्रम में लगातार अलक्षणात्मक/Asymptomatic पाये गये व्यक्तियों को भी 21 दिनों के अनिवार्य Quarantine में रखा जाये।

(च.) स्वास्थ्य परीक्षण/Screening के दौरान संदिग्ध/Symptomatic पाये गये व्यक्त्यिों को जिला (जिस जिला में रेल के माध्यम से व्यक्ति का आगमन हुआ) में अवस्थित स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित Quarantine Centre पर लाकर जाँच हेतु उनका नमूनाकरण/Sample Collection पूर्व में भेजे गये दिशा-निर्देशों के तहत किया जाये।

(i) नमूना जाँचोपरांत COVID-19 True Positive पाये गये व्यक्तियों को उनके Symptom के severity के आधार पर नीचे की कंडिका 7 में अंकित COVID Treatment Centres में भर्ती किया जाये।

(ii) नमूना जाँचोपरांत COVID-19 True Negative पाये गये व्यक्तियों को उनके गृह जिला के प्रखंड/जिला स्थित चिन्हित आपदा विभाग द्वारा संचालित Quarantine Centre में स्थानांतरित करते हुये 21 दिनों के लिए Quarantine किया जाये।

4. बस अथवा अन्य वाहन से आने वाले व्यक्तियों के संबंध में की जाने वाली कार्रवाई (Flow Chart संलग्न-II):-

(क) बस अथवा अन्य वाहन से आने वाले व्यक्ति सीधे अपने गृह जिला/गृह प्रखंड स्थित आपदा विभाग द्वारा संचालित Quarantine Centre पर पहुँचेगे। बस अथवा अन्य वाहन द्वारा लाये गये व्यक्तियों की जिलास्तर पर गठित मेडिकल टीम द्वारा स्वास्थ्य जाँच/स्क्रीनिंग की जायेगी।

(ख) सभी प्रवासी व्यक्तियों/आगन्तुकों के स्वास्थ्य परीक्षण/स्क्रीनिंग कार्य के साथ-साथ पंजीकरण संबंधी कार्य भी अनिवार्य रूप से कराया जाये। पंजीकरण हेतु अलग से पंजी/रजिस्टर का संधारण किया जाये।

(ग) स्वास्थ्य परीक्षण/स्क्रीनिंग के दौरान अलक्षणात्मक/Asymptomatic पाये गये व्यक्तियों को 21 दिनों के लिए अनिवार्य Quarantine किया जायेगा।

(i) आपदा के Quarantine Centre में आवासित व्यक्तियों का नियमित स्वास्थ्य जाँच किया जायेगा। यदि जाँच के क्रम में कोई व्यक्ति लक्षणात्मक/symptomatic पाया जाता है तो उसे स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित Quarantine Centre में स्थानांतरित कर दिया जायेगा तथा उसके नमूनाकरण आदि के लिए पूर्व में भेजे गये दिशा-निदेश एवं कंडिका-4(घ) में वर्णित प्रक्रिया का अनुपालन किया जायेगा।

Scanned with CamScanner

(ii) नियमित स्वास्थ्य जाँच के क्रम में लगातार अलक्षणात्मक/ Asymptomatic पाये गये व्यक्तियों को भी 21 दिनों के अनिवार्य Quarantine में रखा जाये।

(घ) स्वास्थ्य परीक्षण/Screening के दौरान संदिग्ध/Symptomatic पाये गये व्यक्त्यिों को जिला (जिस जिला में बस/अन्य वाहन के माध्यम से व्यक्ति का आगमन हुआ) में अवस्थित स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित Quarantine Centre पर लाकर जाँच हेतु उनका नमूनाकरण/Sample Collection पूर्व में भेजे गये दिशा-निर्देशों के तहत किया जाये।

(i) नमूना जाँचोपरांत COVID-19 True Positive पाये गये व्यक्तियों को उनके Symptom के severity के आधार पर नीचे की कंडिका 7 में अंकित COVID Treatment Centres में भर्ती किया जाये।

(ii) नमूना जाँचोपरांत COVID-19 True Negative पाये गये व्यक्तियों को उनके गृह जिला के प्रखंड/जिला स्थित चिन्हित आपदा विभाग द्वारा संचालित Quarantine Centre में स्थानांतरित करते हुये 21 दिनों के लिए Quarantine किया जाये।

5. अन्य राज्यों से आने वाले व्यक्तियों की संभावित बड़ी संख्या को देखते हुये Symptomatic व्यक्तियों के आवासन हेतु सभी जिलों के प्रत्येक प्रखंड में आपदा प्रबंधन विभाग के Quarantine Centre के अतिरिक्त Health Quarantine Centre की व्यवस्था किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु प्रत्येक प्रखंड में Quarantine Centres के लिए स्थल चिन्हित करते हुये उस Quarantine Centres में चिकित्सक, पाराचिकित्सा कर्मी की प्रतिनियुक्ति, उनके आवासन एवं भोजन आदि की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।

6. आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा संचालित Quarantine Centres पर Quarantine किये गये प्रवासी व्यक्तियों का नियमित रूप से स्वास्थ्य जाँच किया जाना है। Quarantine Centre में आवासित व्यक्तियों द्वारा स्वास्थ्य संबंधी किसी भी तरह की समस्या (COVID से इतर) उत्पन्न होने की स्थिति में उनके द्वारा सूचित करने पर चिकित्सा दल द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण/जाँच किया जाये, ताकि उपचारोपरांत Quarantine Centre पर हीं वैसे व्यक्तियों को आवश्यक दवा आदि दिया जा सके।

7. **नमूना जाँचोपरांत की जाने वाली कार्रवाईः-**

(क) नमूना जाँच के दौरान COVID-19 Positive- Asymptomatic एवं Mild symptom वाले रोगियों को COVID Care Centre में भर्ती किया जाये।

(ख) Moderate Symptom वाले रोगियों का Dedicated COVID Health Centre (DCHC) में उपचार किया जाये।

(ग) Severe Symptoms वाले रोगियो का चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल में स्थित Dedicated COVID Hospital (DCH) में उपचार किया जाये।

8. इस हेतु प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर किराया पर लिया हुआ एम्बुलेंस तैनात अवस्था में रखा जाये तथा नजदीक के Quarantine Centres से संबद्ध किया जाये। 102 अन्तर्गत संचालित एम्बुलेंस में COVID-19 के suspect एवं confirm cases वाले व्यक्तियों के आवागमन हेतु परिचालन नही किया जाना है।

9. Quarantine Centre में अन्य राज्यों से आये व्यक्तियों के बीच अन्य संभावित महामारी/बीमारी यथा- दस्त/अतिसार, वेक्टर जनित बीमारियों के रोकथाम हेतु व्यापक उपाय किया जायेः-

(क) Quarantine Centre पर मच्छर जनित बीमारियों की रोकथाम हेतु नियमित रूप से छिड़काव किया जाये।

Scanned with CamScanner

(ख) Quarantine Centre के भवन के अनावश्यक छिद्रों को भर दिया जाय, ताकि साँप एवं अन्य जहरीले जीव-जन्तु के दंश से आवासितों को बचाया जा सके।

(ग) जिलान्तर्गत सभी स्वास्थ्य केन्द्रों में Snake Venom Anti Serum एवं Rabies Vaccine का पर्याप्त मात्रा में भंडारण सुनिश्चित किया जाये।

(घ) जिलान्तर्गत सभी स्वास्थ्य केन्द्रों में दस्त एवं अतिसार से संबंधित सभी प्रकार के आवश्यक औषधियों यथा- Anti Diarrhoea Medicine, Anti Amoebic Medicine, Anti Emetic Medicine, I.V. Fluids/Parenterals एवं ORS का पर्याप्त मात्रा में भंडारण सुनिश्चित किया जाये।

10. Quarantine Centre के अपशिष्ट का निपटारा Bio Medical Waste Management Rule के अनुसरण में किया जाये। इस प्रयोजनार्थ सभी Quarantine Centre को Bio Medical Waste के उठाव हेतु अनुबंधित एजेंसी के साथ Tag कर दिया जाये तथा उक्त के लिए निर्धारित दर पर भुगतान किया जाये। उक्त Quarantine Centre पर जल एवं भोजन की गुणवत्ता जाँच करने हेतु आवश्यकतानुसार खाद्य संरक्षा अधिकारी को प्रतिनियुक्त किया जाये।

11. अन्य राज्यों से आने वाले वृद्ध, गर्भवती माताऐं, बच्चें एवं असाध्य रोग /Comorbid conditions से पीड़ितों के संबंध में:-

(क) गर्भवती मातायें जिनका प्रसव नजदीक की तिथि में है उन्हें समुचित देखरेख हेतु इनका line listing किया जाये, ताकि आकस्मिकता एवं आपात स्थिति में चिकित्सकीय सुविधा प्रदान की जा सके।

(ख) Quarantine किये गये वृद्ध, गर्भवती माताऐं, बच्चें एवं असाध्य रोग से पीड़ित व्यक्तियों की अनिवार्य विवरणी covid19.bihar.gov.in पोर्टल पर अपलोड किया जाये, ताकि ऐसे चिन्हित मरीजों के स्वास्थ्य संबंधी गतिविधियों की दूरभाष के माध्यम से दैनिक रूप से अनुश्रवण कर समुचित कार्रवाई/चिकित्सकीय प्रबंधन की जा सके।

12. Quarantine किये गये सभी व्यक्तियों को 'Aarogya Setu' App उपयोग करने हेतु प्रोत्साहित/उत्प्रेरित किया जाये, ताकि स्वास्थ्य संबंधी विविध पहलुओं का अनुश्रवण किया जा सके। उक्त App को मोबाईल पर install करने हेतु अनिवार्य Steps की विवरणी संबंधी सूचना Flex के माध्यम से सभी Quarantine Centre पर प्रदर्शित किया जाये।

13. सभी लक्षणात्मक/Symptomatic मरीजों की अनिवार्य विवरणी covid19.bihar.gov.in पोर्टल पर अपलोड किया जाये, ताकि ऐसे चिन्हित मरीजों के स्वास्थ्य संबंधी गतिविधियों की दैनिक रूप से अनुश्रवण कर समुचित कार्रवाई/चिकित्सकीय प्रबंधन की जा सके।

14. COVID-19 के संक्रमण से बचाव, infection control, social distancing से संबंधित पूर्व से निर्गमित सामान्य दिशा-निर्देशो का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाये।

15. संबंधित प्रखंड के Quarantine Centre पर COVID-19 से संबंधित प्रचार-प्रसार:- Quarantine Centre पर COVID-19 से संबंधित मुख्यत: Social Distancing, हाथ धोने, मास्क के उपयोग, Home quarantine में बरती जाने वाली सावधानी आदि से संबधित प्रचार-प्रसार किया जाये।

विश्वासभाजन

21/5/2020

(संजय कुमार)

Scanned with CamScanner

ज्ञापांक:......495......   पटना, दिनांक......02/05/2020

प्रतिलिपि:

- मुख्य सचिव, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
- पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
- माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
- सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- सभी प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रबंध निदेशक, BMSICL, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- सभी मंडल रेल प्रबंधक, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- सभी क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, बिहार के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2/5/2020

प्रधान सचिव
स्वास्थ्य विभाग

Scanned with CamScanner

Flow Chart- I

रेल के माध्यम से आने वाले व्यक्तियों के संबंध में की जाने वाली कार्रवाई

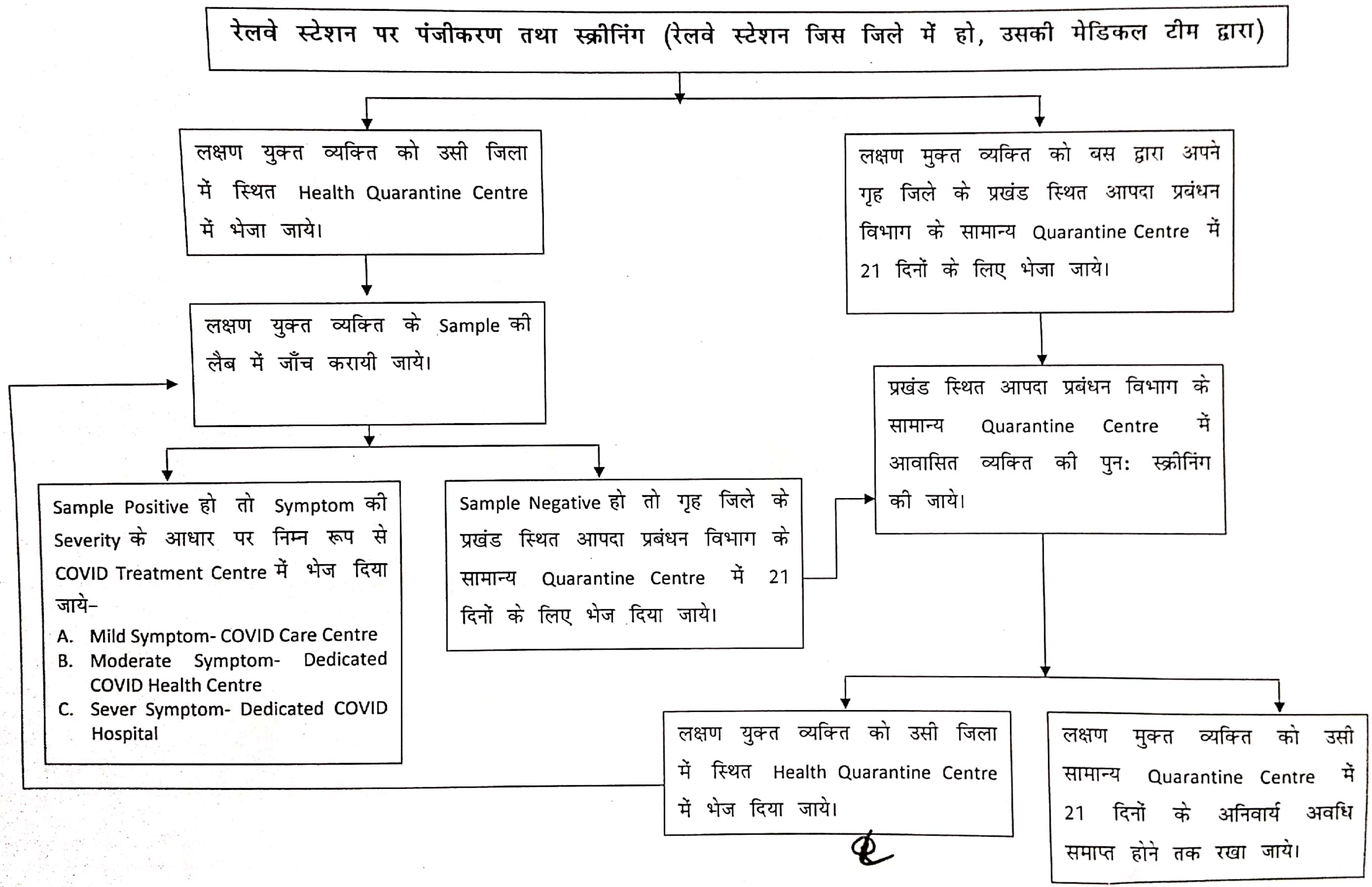

Scanned with CamScanner

Flow Chart- II

बस अथवा अन्य वाहन से आने वाले व्यक्तियों के संबंध में की जाने वाली कार्रवाई

बस अथवा अन्य वाहन अपने गृह जिला/गृह प्रखंड स्थित आपदा विभाग द्वारा संचालित Quarantine Centre पर आगमन

↓

Quarantine Centre पर पंजीकरण तथा स्क्रीनिंग (उसी जिले की मेडिकल टीम द्वारा)

↓

लक्षण युक्त व्यक्ति को उसी जिला में स्थित Health Quarantine Centre में भेजा जाये।

↓

लक्षण युक्त व्यक्ति के Sample की लैब में जाँच करायी जाये।

↓

Sample Positive हो तो Symptom की Severity के आधार पर निम्न रूप से COVID Treatment Centre में भेज दिया जाये–

A. Mild Symptom- COVID Care Centre
B. Moderate Symptom- Dedicated COVID Health Centre
C. Sever Symptom- Dedicated COVID Hospital

Sample Negative हो तो गृह जिले के प्रखंड स्थित आपदा प्रबंधन विभाग के सामान्य Quarantine Centre में 21 दिनों के लिए भेज दिया जाये।

↓

लक्षण मुक्त व्यक्ति को Quarantine Centre में 21 दिनों के लिए रखा जाये।

↓

प्रखंड स्थित आपदा प्रबंधन विभाग के सामान्य Quarantine Centre में आवासित व्यक्ति की पुनः स्क्रीनिंग की जाये।

↓

लक्षण युक्त व्यक्ति को उसी जिला में स्थित Health Quarantine Centre में भेज दिया जाये।

लक्षण मुक्त व्यक्ति को उसी सामान्य Quarantine Centre में 21 दिनों के अनिवार्य अवधि समाप्त होने तक रखा जाये।

Scanned with CamScanner